# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री रतनलाल रेगर आर ए एस )

**प्रकरण संख्या 193 / 2014 प्रार्थनापत्र एलआर**

अनवान

श्री लादूलाल पिता कजोड़ खटीक निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

........ **प्रार्थी**

बनाम

1– राजस्थान राज्य जंरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

2– श्री रामा पिता काशी गाडरी निवासी बंगला का खेडा, बनेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा ..... **विपक्षी**

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– **श्री कृष्णकुमार जीनगर प्रार्थी अधिवक्ता**

**पेराकार सरकार**

## –:: निर्णय ::–

दिनांक 08.08.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी संख्या 5532 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से प्रार्थी ने 19 / 900 हक व हिस्सा क्रय किया। क्रय के बाद से ही प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज होकर मौके पर अभी जगह खाली पड़ी हुई है। प्रार्थी के नाम पर जरिये नामान्तरण नवीन नम्बर 5821 / 5532 कायम किये गये। प्रार्थी की भूमि क्रय दिनांक से देवली से बनेड़ा आने वाली सड़क की तरफ स्थित है। जिसका विभाजन से नवीन आराजी संख्या 5532 / 5 रकबा 2 बिस्वा कायम है जिसमे 1 बिस्वा भूमि की तरमीम गलत दर्ज हो गई जिसे दुरस्त की जावें।

2. विपक्षी की जरिये सम्मन तलबी की गई। विपक्षी संख्या 01 ने अपनी जॉच रिर्पोट में प्रार्थी को आराजी संख्या 5532 / 5 रकबा 2 बिस्वा भूमि उसके नाम दर्ज रेकार्ड होना स्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थी लादूलाल का कब्जा आराजी संख्या 5532 व 5821 / 5532 पर होकर पूर्व में लक्ष्मण खाती, पश्चिम में शेष आराजी संख्या 5821 / 5532 उत्तर में शेष आराजी 5532 तथा दक्षिण में बनेड़ा से माताजी का खेड़ा रोड पर स्थित है। खातेदार की 2 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है किन्तु मौके पर कब्जे अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

तरमीम नहीं है। प्रार्थी का आ. नं. 5821/5532 रकबा 0.01 तथा 5532/5 रकबा 0.01 कुल किता–2 रकबा 2 बिस्वा भूमि पर कब्जा होकर मकान निर्मित है। अतः सड़क के सहारे आराजी नं. 5821/5532 रकबा 0.01 जो कि आराजी संख्या 5532/5 के सड़क की ओर दक्षिण दिशा में है की ओर बढ़ाई जाकर प्रार्थी आवेदक की खरीद, दर्ज रेकार्ड एवं कब्जाशुदा 2 बिस्वा भूमि की एकसाथ तरमीम किये जाने की अनुशंषा एवं रिर्पोट भिजवाई गई। प्रार्थनापत्र विचारण दौरान दिनांक 30.06.2017 राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम बनेडा में प्रकरण को पंजीबद्ध किया गया। शिविर के दौरान प्रार्थी द्वारा पूर्व दिनांक 23.03.2017 से प्रस्तुतशुदा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 सी0पी0सी0 परिक्षण उपरान्त स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थनापत्र में रामा पिता काशी गाडरी को बतौर पक्षकार विपक्षी संख्या 02 के स्थान पर संयोजित किये जाने कि आज्ञा पारित की गई। दिनांक 01.08.2017 को नवीन पक्षकार श्री रामा पिता काशी गाडरी के द्वारा अपनी और से ईकबालिया जवाब के तौर पर बयान संपादित करवाये गये जिन्हे रिकार्ड पर लिया गया।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाद का अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रार्थनापत्र प्रार्थी पर विपक्षी तहसीलदार बनेड़ा ने अपनी सयुक्त जॉच रिर्पोट में प्रार्थी की मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम होना स्वीकार करते हुए निम्न पड़ौसान के मध्य तरमीम किया जाना प्रस्तावित किया हैः–

पूर्व दिशा में :– लक्ष्मण खाती,
पश्चिम दिशा में :– शेष आराजी संख्या 5821/5532
उत्तर दिशा में :– शेष आराजी 5532 तथा
दक्षिण दिशा में :– बनेड़ा से माताजी का खेड़ा रोड

उक्त पड़ौसान के मध्य स्थित तरमीम किये जाने में प्रार्थी की ओर से कोई आपत्ति एवं एतराज रेकार्ड पर नहीं किया है। अतः विपक्षी की जॉच रिर्पोट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दिनांक 12–11–2014 अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

## –:: आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दिनांक 12–11–2014 अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बनेड़ा से प्राप्त सयुक्त जॉच रिर्पोट अनुसार निम्न पड़ौसान के मध्य स्थित प्रार्थी के

कार्यालय उप खण्ड ... बनेड़ा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

कब्जे एवं आधिपत्य की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 5532/5 रकबा 2 बिस्वा की तरमीम दुरस्ती की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

पूर्व दिशा में :– लक्ष्मण खाती,
पश्चिम दिशा में :– शेष आराजी संख्या 5821/5532
उत्तर दिशा में :– शेष आराजी 5532 तथा
दक्षिण दिशा में :– बनेड़ा से माताजी का खेड़ा रोड

आदेश की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय/कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बनेड़ा (भीलवाड़ा)

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)